262/

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00352504498172M
Certificate Issued Date	:	02-May-2014 04:50 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0100417415593200M
Purchased by	:	WHITELINE COMMERCIAL PVT LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	GROUP HOUSING PLOT NO. GH-14/5, SECTOR-14, VRINDAVAN YOJNA, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	7,42,00,000 (Seven Crore Forty Two Lakh only)
First Party	:	UTTAR PRADESH AWAS AVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	:	WHITELINE COMMERCIAL PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	WHITELINE COMMERCIAL PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	57,74,000 (Fifty Seven Lakh Seventy Four Thousand only)

LOCKED SHOP ★ LUCKNOW ★

Please write or type below this line

रमेश चन्द्र

क्रेता

विक्रेता

XM 0000351469

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AV 855991

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 03 माह 06 वर्ष 2015 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद

क्रमशः 2 पर

रमेशचन्द्र
क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AV 855992

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

पश्चात''परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

कमशः 3 पर

रमेश चन्द्र
क्रेता

विक्रेता

एक पक्ष और मैसर्स व्हाईट लाईन कार्मशियल प्रा०लि०– श्री रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा वी०पी०एवं चीप मैनेजर पताः– CP-2/1, रतन खण्ड शारदा नगर लखनऊ–226002 जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी,विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :–

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या–4 नामक मुहल्ले के सेक्टर 14 में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या– 14/GH-05 का व्यय है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० **7,42,00,000.00 (रू० सात करोड़ बयालिस लाख मात्र) जिसका आधा रू० 3,71,00,000.00 (रू० तीन करोड़ इक्हत्तर लाख मात्र)** होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या–14/GH-05) को,जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन कय करने के लिए सहमत है। अतएव अब **रू० 7,42,00,000.00 (रू० सात करोड़ बयालिस लाख मात्र)** की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद् द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 14/GH-05) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप सें वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती हैः–

कमशः 4 पर

क्रेता

क्रेता

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को कब्जा पत्र प्रदत्त किया जाना है।

(4) इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

(5) यदि इच्छुक केता एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे है :–

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तनान दशा मे किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या-आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

कमशः 5 पर

रमेश चन्द्र
केता

विकेता

(7) उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी,जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या – 14/GH-05) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 17% (सत्रह प्रतिशत) की दर से व्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग संस्थागत प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही करेगा और वह विकय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या– 14/GH-05 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।

(10) केता ने विलेख में दिए गये निवन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

कमशः 6. पर

रमेश चन्द्र
केता

विकेता

(11) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्ते जो समय-समय पर लागू हो, मान्य होगी।

जिसके साक्ष्य में डा० अनिल कुमार, उप आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और मैसर्स व्हाईट लाईन कार्मशियल प्रा०लि० श्री रमेश चन्द्र मिश्रा -द्वारा वी०पी० एवं चीप मैनेजर आशयिता 14/GH-05 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्‌द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

नोटः-(1) ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का कुल मूल्य रू० 7,42,00,000,00.00 एवं ब्याज/अतिरिक्त ब्याज रू० 30,90,000.00 कुल रू० 7,72,90,000.00 फर्म द्वारा परिषद कोष मे भुगतान किया गया है।

नोटः-(2) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-462/114-2006-500(92)-2005 दि० 23.02.2006 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रू० 57,74,100.00 नियमानुसार अदा किये जा रहे है।

नोटः-(3) उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 14/GH-05 के साथ ई स्टाम्प प्रमाण पत्र रू० 57,74,000.00 एवं ई स्टाम्प प्रमाण पत्र नं० IN-UP00352504498172M DATE 02.05.2014 मूल रूप में संलग्न किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14. //GH-05, का कुल क्षेत्रफल 5300.00 वर्ग मीटर है। एवं 1000 X 15,600.00 + 20% = रू० 18,700.00 +10% कार्नर चार्ज सहित कुल रू० 20,570.00 X 1000 = रू०.2,05,70,000.00 एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल 4300.-00 वर्ग मीटर द्वारा निर्धारित सर्किल दर रू० 18,700.00 - 30%+10% कुल रू० 14,399.00 प्रति वर्ग मीटर द्वारा निर्धारित भूमि का कुल रू० 8,24,85,700.00 निर्धारित है। इस प्रकार भूखण्ड का कुल मूल्य रू० 8,24,85,700.00 जिसपर 7% की दर से ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

कमशः 7. पर

रमेश चन्द्र
क्रेता

विक्रेता

विक्रय पत्र

74,200,000.00 / 82,485,700.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
74,200,000.00	82,485,700.00	10,000.00	40	10,040.00	2,000

श्री मे, व्हाइट लाईन कामर्, प्रा0 लि0 द्वा. रमेश चन्द्र मिश्रा मैने,

पुत्र श्री

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी सीपी 2/1 रतन खन्ड शारदा नगर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 9/6/2014 समय 12:18PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
9/6/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ0 प्र0 आ0 वि0 प0 द्वारा डा0 अनिल कुमार उप0 ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मे, व्हाइट लाईन कामर्, प्रा0 लि0 द्वा, रमेश चन्द्र मिश्रा मैने,
पुत्र श्री
पेशा व्यापार
निवासी सीपी 2/1 रतन खन्ड शारदा नगर लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री अमित कुमार जायसवाल

पुत्र श्री श्रीचन्द्र जायसवाल

पेशा व्यापार

निवासी सी- 2/1 रतनीखन्ड शारदा नगर लखनऊ

व श्री गुलाम मोहम्मद योजना सहा0 आ0 वि0 प0

पुत्र श्री

पेशा नौकरी

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
9/6/2014

अनुसूची "क"
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी 14/GH-05 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 5300.00 वर्ग मीटर

सीमाएँ: उत्तर–	PARK/POND	उत्तर–	53.00	मीटर
दक्षिण–	18.00 मीटर चौडी सड़क	दक्षिण–	53.00	मीटर
पूर्व–	भूखण्ड सं० 14/GH-4	पूर्व–	100.00	मीटर
पश्चिम–	12.00 मीटर चौड़ी सड़क	पश्चिम–	100.00	मीटर

1–साक्षी:1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2–साक्षी:1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता

उप आवास आयुक्त
(कृते आवास आयुक्त)

1–साक्षी:1–हस्ताक्षर राम सजीवन
2–नाम राम सजीवन
3–पता 17/234 इन्दिरानगर लखनऊ

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

2–साक्षी:1–हस्ताक्षर Amit Kumar
2–नाम Amit Jaiswal
CP2/1 Ratan Khand Sharda Nagar Lucknow (226002)
3–पता

1–हस्ताक्षर
2–नाम वी०पी० एवं चीफ मैनेजर
मैसर्स व्हाईट लाईन कार्मशियल प्रा०लि०
3–पता CP-2/1 रतन खण्ड,शादरा नगर लखनऊ–226002

क्रेता

Registration No. : 12162 Year : 2,014 Book No. : 1

0201 मे, व्हाइट लाईन कामर्, प्रा0 लि0 द्वा, रमेश चन्द्र मिश्रा मैने,

सीपी 2/1 रतन खन्ड शारदा नगर लखनऊ

व्यापार

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. – 3

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
OFFICE COMPLEX, III FLOOR, 9A, VRINDAVAN SCHEME No.-2,
PART-2, RAI BAREILLY ROAD, LUCKNOW.

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT No. 14/G.H-5 SECTOR-14
AT VRINDAVAN YOJNA No.4, LUCKNOW.
OWNER SRI. /SMT. व्हाइट लाइन कार्मशियल प्रा० लि० द्वारा रमेश चन्द्र मिश्रा

PLOT SIZE 53.00 M X 100.00 M

PLOT AREA 5300.00 SQ M.

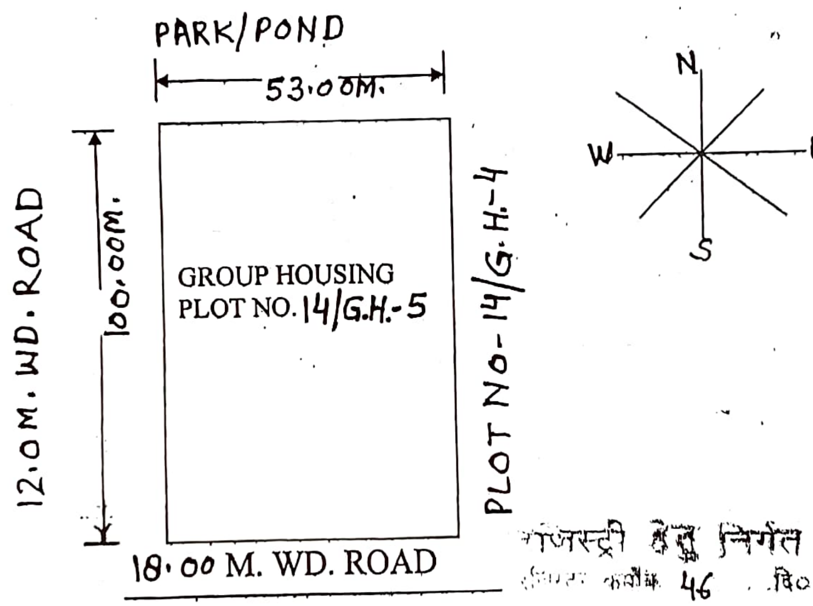

रजिस्ट्री हेतु निर्गत
क्रमांक 46 दि० 28/6/12

28/6/12

D/MAN J.E. A.E. रमेश चन्द्र क्रेता विक्रेता

आज दिनांक 09/06/2014 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 17373

पृष्ठ सं. 43 से 60 पर क्रमांक 12162

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी. सी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
9/6/2014

IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक(वृन्दावन)

प्रथम तल, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–9

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ।

Email: emovrindavanlko@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

पत्रांक /सं०प्र० वृन्दावन/ दिनांक

<u>कार्यालय आदेश</u>

परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-**14/GH-05** का प्रदेशन पत्र सं0-8979 दिनांक 21.02.2012 द्वारा मैसर्स व्हाइट लाइन कामर्शियल प्रा0लि0 द्वारा श्री रमेश चन्द्र मिश्रा निवासी-CP-2/1, रतन खण्ड शारदा नगर, लखनऊ के पक्ष में निर्गत है। परिषद द्वारा आवंटी के पक्ष में दिनांक 03.06.2014 को विक्रय-विलेख निष्पादित कराकर उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिनांक 18.07.2016 को हस्तगत है।

आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तित किये जाने के पश्चात मैसर्स प्रियम निर्माण प्रा0लि0 द्वारा श्री रमेश चन्द्र मिश्रा का नाम परिवर्तित किये जाने हेतु अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय/आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धित विनियम यथा संशोधित-2016 के पृष्ठ सं0-117 के प्रस्तर-57 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-14/GH-05 में अब मैसर्स प्रियम निर्माण प्रा0लि0 द्वारा श्री रमेश चन्द्र मिश्रा** का नाम नियमानुसार देय परिवर्तन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात नाम परिवर्तन किये जाने के एतदद्वारा आदेश दिये जाते हैं। शेष नियम व शर्ते पूर्व में निर्गत प्रदेशन पत्र/विक्रय-विलेख के अनुसार ही होंगी।

(नरेश कुमार)
सम्पत्ति प्रबन्धक

पृष्ठ सं0 2685 /उक्त/ तददिनांक 24/7/2024

प्रतिलिपि- मैसर्स प्रियम निर्माण प्रा0लि0 द्वारा श्री रमेश चन्द्र मिश्रा निवासी-CP-2/1, रतन खण्ड शारदा नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक